महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन –456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 24.05.2023

कार्यालय आदेश – 1253

विषय :- महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेद पाठशालाओं एवं गुरू-शिष्य परम्परा इकाइयों के अध्यापकों के मानदेय एवं छात्रों की छात्रवृत्ति के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।.

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय अनुदान से संपोषित वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के अध्यापकों के मानदेय एवं छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 3-7/2021- skt I दिनांक 23.03.2023 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है । दिनांक 18-05-2023 को आयोजित प्रतिष्ठान की अनुदान समिति एवं दिनांक 22-05-2023 को आयोजित वित्त समिति ने भी अपनी संस्तुति प्रदान की है। साथ ही समिति ने निर्देशित किया है कि समय-समय पर पाठशालाओं, इकाइयों का निरीक्षण कर जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान जारी किया जा रहा है उसकी उचित मॉनीटरिंग कर, सस्वर वेद-विद्या के अध्ययन एवं अध्यापन के गुणवत्ता को बढ़ाते हुए तथा प्रतिष्ठान के समस्त दिशा-निर्देशों (वर्तमान के अथवा भविष्य में बनाए जाने वाले) व नियमों का पालन कर ही अनुदान जारी किया जाये। पूर्व वर्ष के वेद एवम् अन्य विषयों के परीक्षा द्वारा अध्ययन स्तर का निरीक्षण कर प्रत्येक वर्ष अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर, योग्य पाये जाने पर ही अनुदान का प्रावधान योजना के अन्तर्गत है। बजट की उपलब्धता पर यह मानदेय वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से पीएफएमएस के माध्यम से टीएसए द्वारा प्रदेय होगी।

दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रदेय मानदेय एवं छात्रवृत्ति विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) वेदपाठशाला योजनान्तर्गत अध्यापक

क्र.सं.	योजना में स्वीकृत अध्यापकों की श्रेणी	वर्षवार क्रम से अध्यापन अवधि	वर्ष 1-4-2018 से लागू वर्तमान मानदेय दर	मंत्रालय द्वारा बढोतरी के साथ लागू मानदेय दर (1-4-2023 से प्रभावी)
1	वेद अध्यापक	0-5 वर्ष तक अध्यापन	रू. 22,000/-	रु. 27,500/-
		5 से 10 वर्ष तक अध्यापन	रू. 30,000/-	रु. 33,000/-
		10 वर्ष से अधिक	रू. 34,000/-	रु. 38,500/-
2	संस्कृत विषय अध्यापक	0-5 वर्ष तक अध्यापन	रू. 28,000/-	रु. 30,000/-
		5 से 10 वर्ष तक अध्यापन	पूर्व में बढोत्तरी नहीं थी	रु. 33,000/-
		10 वर्ष से अधिक	पूर्व में बढोत्तरी नहीं थी	रु. 35,000/-
3	आधुनिक विषय अध्यापक	0-5 वर्ष तक अध्यापन	रू. 16,000/-	रु. 25,000/-
		5 से 10 वर्ष तक अध्यापन	पूर्व में बढोत्तरी नहीं थी	रु. 30,000/-
		10 वर्ष से अधिक	पूर्व में बढोत्तरी नहीं थी	रु. 35,000/-

वेदपाठशाला छात्रों की छात्रवृत्ति :

1	छात्रों के अभिभावक के साथ संयुक्त खाते प्राप्त होने पर छात्रों की रख-रखाव छात्रवृत्ति प्रतिमाह (पाठशाला के खाते में)	स्वतः व्यय हेतु छात्रों के अभिभावक के साथ संयुक्त खाते में प्रदेय प्रतिमाह छात्रवृत्ति	कुल छात्रवृत्ति प्रति छात्र, प्रतिमाह
	रु. 3,500/-	रु. 1,500/-	रु. 5,000/-

(आ) गुरु-शिष्य परम्परा योजनान्तर्गत

क्र.सं.	गुरु-शिष्य योजना में स्वीकृत अध्यापक	वर्षवार क्रम से अध्यापन अवधि	वर्ष 1-4-2018 से लागू वर्तमान मानदेय दर	मंत्रालय द्वारा बढ़ोतरी के साथ लागू मानदेय दर (1-4-2023 से प्रभावी)
1	वेद अध्यापक	0-5 वर्ष तक अध्यापन	रू. 20,000/-	रु. 25,000/-
		5 से 10 वर्ष तक अध्यापन	पूर्व में बढोत्तरी नहीं थी	रु. 30,000/-
		10 वर्ष से अधिक	पूर्व में बढोत्तरी नहीं थी	रु. 35,000/-

गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई छात्रों की छात्रवृत्ति :

1	छात्रों के अभिभावक के साथ संयुक्त खाते प्राप्त होने पर छात्रों की रख-रखाव छात्रवृत्ति प्रतिमाह (इकाई अध्यापक के खाते में)	छात्रों के स्वतः व्यय हेतु छात्रों के अभिभावक के साथ संयुक्त खाते में प्रदेय प्रतिमाह छात्रवृत्ति	कुल छात्रवृत्ति प्रति छात्र, प्रतिमाह
	रु. 3,500/-	रु. 1,500/-	रु. 5,000/-

वेदपाठशाला / इकाई अध्यापकों हेतु निर्देश :

(1) पाठशाला / इकाई में समस्त छात्रों का प्रवेश एवं संपूर्ण वेद अध्ययन नि:शुल्क रहेगा । किसी भी पाठशाला / इकाई में छात्रों के प्रवेश के लिए अभिभावकों से शुल्क लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पाठशाला / इकाई पर प्रतिष्ठान नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा पाठशाला / इकाई का अनुदान बाधित किया जा सकता है ।

वेद अध्ययन एवं अध्यापन

पाठशाला / इकाई में उच्च कोटि का वेद अध्यापन, सस्वर पाठ, वेद स्वाध्याय,वेद सन्था(क्रम से पुनः आवृत्ति), गीता, स्तोत्र आदि का सुमधुर लयबद्ध पाठ आनिवार्य है, यह पाठ्यक्रम अन्तर्गत है। अध्यपक गण समय समय पर अपने अपने स्थान पर सामूहिक वेदपाठ एवं प्रत्येक गुरु स्वयं आदर्श वेद पाठ करेंगे।

मासिक एवं त्रैमासिक परीक्षा-

प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, एवं अष्टम माह की वेद परीक्षा पाठशाला/ इकाई में ली जाएगी, इसमें आस पास के एक बाह्य वेद अध्यापक एवं आन्तरिक वेद अध्यापक मिलकर पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा लेंगे। **तृतीय, षष्ठ एवं नवम माह** की परीक्षा राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय अध्यापकों द्वारा ली जाएगी। **आधुनिक विषयों का छह माह की अर्धवार्षिक, एवं प्रिपरेटरी लिखित परीक्षा विद्यालय एवं इकाई में होगी।**

(2) पाठशाला / इकाई अध्यापक को छात्रों को वर्ष में दो बार नवीन वस्त्र प्रदान करना अनिवार्य है ।

(3) छात्रों को उच्च कोटि का उचित मात्रा में नियत समय में शुद्ध सात्विक भोजन, प्रातः दूध, अल्पाहार, मध्याह्न भोजन, सायंकाल – अल्पाहार – लघु खाद्य आदि, रात्रि भोजन, रात्रि में दूध प्रदान करना आवश्यक है । इस विषय पर औचक निरीक्षण के समय कोई भी कमी दिखाई देने पर कार्यवाही होगी। भोजन विषय में विस्तृत आदेश वेब साईट् पर है।

(4) पाठशाला / इकाई अध्यापकों को भोजन सामग्री क्रय का हिसाब-किताब रजिस्टर में दर्ज करते हुए प्रतिमाह मासिक उपस्थिति के साथ प्रतिष्ठान को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करना होगा । प्रतिष्ठान द्वारा ऑनलाइन / साक्षात औचक निरीक्षण करने पर क्रय सामग्री रजिस्टर, बिल आदि देखा जा सकेगा। आवश्यक स्थिति में सरकारी अनुदान एवं उपयोग का स्पेशल आडिट् कराया जाएगा।

(5) छात्रों के आवास, भोजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य है ।

(6) वेदपाठशाला / इकाइयों में सेवारत समस्त अध्यापकों की विद्यालय में अध्यापन अवधि में पूर्णकालिक रूप से उपस्थिति अनिवार्य है । चूंकि वेदपाठशाला / इकाई में छात्र आवासीय व्यवस्था/ गुरूकुल में रहकर वेदाध्ययन कर रहे हैं अत: छात्रों का वेद आवृत्ति, स्वाध्याय, सन्ध्या, अग्निकार्य, स्तोत्रपाठ, आवास व्यवस्था, भोजन, स्वास्थ्य एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास अध्यापकों का दायित्व है । वेद पाठशाला के सभी/ इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि वे छात्रों के अध्ययन के साथ ही विद्यालय /छात्रावास / इकाई की अन्य व्यवस्थाओं में भी सजग सहयोग प्रदान करते हुए अपने पूर्णकालिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें ।

(7) समस्त वेदपाठशाला / गुरू शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठान के माध्यम से देश में वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु वेदपाठशालाओं / इकाई अध्यापकों को दिए जाने वाले मानदेय तथा छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थाई लोहे का बोर्ड पाठशाला / इकाई के बाहर स्थाई रूप से लगाएं । जिससे अभिभावक अपने बालक/ बालिकाओं को वेदपाठशाला / इकाइयों में वेद शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रवेश दिला सकें ।

24/5

वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई पत्रावली का कार्य कर रहे समस्त डीलिंग असिस्टेंट को निर्देशित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल –मई, 2023) का अनुदान प्रस्तुत करने के पूर्व अधोलिखित निर्देशों का पालन करें ।

(1) जो वेद अध्यापक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित वेद अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम/ रिफ्रेशर कोर्स में बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं हुए हैं, उन अध्यापकों के मानदेय की गणना नहीं करें । अर्थात वेद प्रशिक्षण कार्यक्रम / रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण कर चुके वेद अध्यापकों को ही मानदेय प्रदेय होगा ।

(2) जिन वेदपाठशाला / इकाइयों से वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उन वेदपाठशाला/इकाई अध्यापकों को ईमेल के माध्यम से सूचित करें । आवश्यक प्रपत्र प्राप्त होने पर ही अनुदान पत्रावली प्रस्तुत की जाए । वेदपाठशाला / इकाई के अध्यापक शिक्षा नीति-2020 के खिलाफ धरना-प्रदर्शन आदि कर रहे थे उनका अनुदान बन्द रहेगा।

(3) जिन अध्यापकों ने प्रतिष्ठान द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है एवं वेद तथा अन्य आधुनिक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की शिथिलता को ध्यान में रखकर पाठशाला में समायोजन निर्देश का पालन नहीं किया है उनका भी अनुदान तात्कालिक रूप से बन्द रहेगा ।

(4) पूर्व में प्रदत्त आदेश - कोरोना काल में (सत्र 2020-21, 2021-22 तक)छात्रों के वेद अध्ययन प्रभावित होने के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान नहीं किए जाने का आदेश अभी तक निरस्त नहीं किया गया है, यथावत है, अध्ययन में शिथिलता देखी गई है। अतः समस्त छात्रों की वेदपाठशाला / इकाई में उपस्थिति एवं पूर्व के विषय/ वेद भाग का अध्ययन अनिवार्य है ।

(5) अनुदान पत्रावली प्रस्तुत करने के पूर्व समस्त डीलिंग असिस्टेंट दिनांक **24-26 मई, 2023** तक समस्त वेदपाठशालाओं / इकाई अध्यापकों को वीडियो काल कर अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति को निरीक्षित कर लें । जो अध्यापक एवं छात्र पाठशाला / इकाई में उपस्थित हैं, उन्हीं अध्यापकों को मानदेय, छात्रों को माह अप्रैल-मई, 2023 की रखरखाव छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भेजें ।

(6) नवीन प्रवेशित छात्रों के बैंक खातें PFMS में Success in Bank status होने पर ही छात्रवृत्ति प्रदेय है ।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सहायक निदेशक , म.सा.रा.वे.वि.प्र, उज्जैन
(2) अनुभाग अधिकारी, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन
(3) वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई डीलिंग असिस्टेंट ।
(4) समस्त वेदपाठशाला / इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
(4) कार्यालय आदेश पत्रावली।